HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous II Bail Application No. 13319/2026
CNR: RJHC020814642026 | URN: CRLMB / 24661U / 2026

Umesh Gautam S/o Shri Radha Kishan Gautam, Aged About 39 Years, R/o 10/438, Malviya Nagar, Jaipur.

----Petitioner

Versus

1. State Of Rajasthan, Through Pp
2. Sher Singh S/o Ram Nath, R/o Plot No. 10/99, Malviya Nagar, Jaipur.

----Respondents

For Petitioner(s)	:	Mr. Vaibhav Jhonkra
For Respondent(s)	:	Mr. Manvendra Singh, PP Mr. Hemant Kankoriya

---

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

25/11/2026

प्रार्थी की ओर से धारा 482 बी.एन.एस. के तहत पुलिस थाना–**जवाहर सर्किल, जयपुर शहर पूर्व** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–**163/2025** अपराध अन्तर्गत धारा 305(ए) बी.एन.एस. में अग्रिम जमानत का लाभ देने के लिये यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्त को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। उनका तर्क है कि न्यायालय के पूर्व में पारित आदेश दिनांक **23.9.2026** की पालना में प्रार्थी–अभियुक्त द्वारा अनुसंधान में भाग लिया जा चुका है तथा उससे अनुसंधान भी पूर्ण हो चुका है। उससे अभिरक्षात्मक पूछताछ की आवश्यकता नहीं है। उनका तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध यह आक्षेप लगाया गया है कि उसने फ्लैट नम्बर 10/99 के उपर वाले कमरे से (जो फॅलैट नम्बर 10/104 का हिस्सा था, में रखे सामान की चोरी की जबकि फ्लैट

नम्बर 10/104 है, को जरिये विक्रय पत्र दिनांक 7.3.2025 को स्वयं प्रार्थी द्वारा क्रय किया गया है तथा उसका आधिपत्य लिया गया था। उनका तर्क है कि पूर्व में इसी प्रकार की दो शिकायतें परिवादी और उसके नौकर के माध्यम से पेश की गई थी, जिसमें मामला अनुसंधान के उपरांत झूंठा पाया जाकर नकारात्मक अंतिम प्रतिवेदन अदम वकू झूंठ में पेश किया जा चुका है। उनका तर्क है कि सम्पूर्ण मामला सिविल प्रकृति का है, जिसे आपराधिक रंग दिया जा रहा है। प्रार्थी/अभियुक्त अनुसंधान में सहयोग करने के लिए तत्पर है। अतः उसे अग्रिम जमानत पर मुक्त किया जाये।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक व विद्वान अधिवक्ता परिवादी ने उक्त तर्कों का विरोध करते हुए तर्क दिया कि प्रार्थी/अभियुक्त ने तथाकथित कमरे से सामान को निकाल कर कबाडी को बेच दिया तथा यह सम्पूर्ण घटना सीसीटीवी फुटेज में दर्ज है। गंभीर अपराध है। उसे जमानत पर मुक्त नहीं किया जाये।

समस्त तर्कों पर विचार किया गया। केस डायरी का अवलोकन किया गया। मामले में प्रार्थी/अभियुक्त पर फ्लैट नम्बर 10/99 के उपर वाले कमरे मे रखे सामान की चोरी करने का आक्षेप लगाया गया है जबकि इसके उपर फ्लैट नम्बर 10/104 है, जो जरिये विक्रय पत्र दिनांक 7.3.2025 को प्रार्थी द्वारा क्रय किया गया है तथा उसका आधिपत्य ले लिया गया था। इसी विवाद के सम्बन्ध में पूर्व में भी परिवादी व उसके नौकर द्वारा जो दो शिकायतें प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध दर्ज करवाई गई थी, उसमें मामला अदम वकू झूंठ पाया जाकर नकारात्मक अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। उपलब्ध तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी–अभियुक्त द्वारा न्यायालय के पूर्व आदेश की पालना में अनुसंधान में भाग लिया जा चुका है तथा उससे अभिरक्षात्मक पूछताछ की आवश्यकता नहीं बताई गई है। अतः उपर्युक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किये जाने योग्य है।

परिणामतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत यह अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा सम्बन्धित अनुसंधान अधिकारी/थानाधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं

कि वह उनके यहॉ पंजीबद्ध उक्त मामले में प्रार्थी को गिरफ्तार किये जाने की सूरत में यदि प्रार्थी उनके संतोषप्रद एक लाख रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं पचास–पचास हजार रूपये राशि की दो जमानतें प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे तो उसे निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर आजाद कर दिया जाए :

1. कि प्रार्थी पुलिस अधिकारी द्वारा पूछे जाने वाले परिप्रश्नों का उत्तर देने के लिये जैसे और जब अपेक्षित हो, उपलब्ध होगा।
2. कि प्रार्थी इस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिये मनाने के वास्ते प्रत्यक्षः अथवा परोक्ष रूप से उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा।
3. कि प्रार्थी बिना न्यायालय की पूर्व अनुमति के भारत नहीं छोड़ेगा।

(SHUBHA MEHTA),J

Crt_9/D-A/59/JITENDRA SINGH PANWAR